PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Tue, 23 May 2017, Page 12
Width: 10.96 cms, Height: 18.12 cms, a4, Ref: 41.2017-05-23.132

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग ने पकड़ा जोर

श्रीनगर, प्रेट्र : अब जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में 500 से अधिक सेवाओं व 1,200 वस्तुओं की दरें तय हो चुकी हैं, तो पेट्रोलियम उत्पादों को भी इसके दायरे में लाने की मांग ने जोर पकड़ा है। जम्मू-कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। जबकि केरोसिन, नैफ्था व एलपीजी जैसे उत्पाद जीएसटी के दायरे में होंगे, वहीं 5 पेट्रोलियम पदार्थों को पहले वर्षों के लिए इससे बाहर रखा गया है। इनमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन, डीजल व पेट्रोल शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने कहा कि बाहर रखे गए पांच पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो देश की टैक्स प्रणाली में आजादी के बाद किए जाने वाले सबसे बड़े सुधार का क्या मतलब है।

द्राबू के मुताबिक, अगर आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और उस दिशा में आगे बढ़ चले हैं तो उसे क्यों कमजोर किया जाए। अब ये फिजूल की चीजें (उत्पादों को बाहर करना) करके इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। मंत्री के विचार क्षेत्र के तमाम विशेषज्ञों के विचारों के अनुरूप हैं। इन विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी शुरू से जीएसटी के दायरे में रखा जाना चाहिए।

नहीं बढ़ेगी खुदरा महंगाई

मुंबई : जीएसटी का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) पर न्यूनतम असर होने की संभावना है। दूसरे शब्दों में खुदरा महंगाई के मोर्चे पर कोई खास असर नहीं होगा। इसका कारण यह है कि सीपीआइ बास्केट में शामिल वस्तुओं में से ज्यादातर पर जीएसटी के तहत अभी की तुलना में कम टैक्स लगने की संभावना है। वित्तीय सलाहकार फर्म मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

कार्यशील पूंजी के चक्र पर पड़ेगा असर

मुंबई : जीएसटी के क्रियान्वयन से कंपनियों की कार्यशील पूंजी का चक्र प्रभावित होगा। ऐसे में चार महीनों तक उन्हें आसानी से उपलब्ध नकदी की जरूरत होगी। घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट कहती है कि इस तरह के बड़े बदलाव के प्रभाव को न्यूनतम करने और लघु अवधि के वित्त की जरूरत को पूरा करने के लिए आसान प्रणाली वाली तरलता की जरूरत होगी।

औद्योगिक अल्कोहल पर लगेगा 18 फीसद जीएसटी

नई दिल्ली : पीने योग्य अल्कोहल (शराब) को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने पर एथनॉल सहित औद्योगिक अल्कोहल पर 18 फीसद टैक्स लगाया जाएगा। राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने यह बात कही।